सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 95/2016 (2016/00154)

**वादीगण**

1. भगवान सिंह गोद पुत्र रिछपाल सिंह जाति राजपूत उम्र 35 वर्ष निवासी परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर ।

**बनाम**

**प्रतिवादीगण**

1. अजीत सिंह पुत्र भवंरसिंह
2. झब्बर सिंह पुत्र घीसूसिंह
3. लाल सिंह पुत्र घीसूसिंह
4. अमर सिंह पुत्र घीसूसिंह
   समस्त जाति राजपूत निवासीयान परेवड़ी तहसील कुचामनसिटी, जिला नागौर
5. तहसीलदार भूमिधारी, कुचामनसिटी।
6. उपपंजीयक, कुचामनसिटी।

**दावा बाबत अधिकारों की घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 188 व 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित :– श्री भवानी सिंह शेखावत अधिवक्ता वादी की ओर से।**
**श्री श्यामसुन्दर चौधरी अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1 व 2 की ओर से।**

## निर्णय

दिनांक: 12/04/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि वादी एवं प्रतिवादीगण एक ही पिता/दादा की संतान है जो स्वर्गीय घीसू सिंह के उत्तराधिकारी है। राजस्व ग्राम परेवडी के खसरा सं0 594 रकबा 3.72 है0 भूमि वर्गीकरण बारानी द्वितीय की स्थित है। उक्त भूमि वादी के गोदी पिता स्वर्गीय रिछपाल सिंह पुत्र श्री घीसूसिंह के हक हिस्से व बंटवारे के अनुसार अलग खसरे में सींव–नींव कायम करने स्थित है जिनकी पडौसीयान की विगत इस प्रकार है:–

उत्तर दिशा में – रूपाराम, भूराराम महला का खेत
दक्षिण दिशा में – भूराराम, गंगाराम वगैरह का खेत
पूर्व दिशा में – अमराराम अणदा वगैरह का खेत
पश्चिम दिशा में – पप्पूसिंह वगैरह का खेत



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के मध्य वादी का खेत स्थित है।

वादी का सजरा खानदान निम्नवत है।

1. घीसू सिंह (फौत)

1) भंवरसिंह

I. अजीत सिंह (गोद पुत्र)

2) झब्बरसिंह

3) लाल सिंह

4) अमर सिंह

5) रिछपाल सिंह (नाऔलाद (फौत))

I. भगवानसिह (गोद पुत्र)

स्वर्गीय घीसू सिंह के पांच पुत्र क्रमशः भंवरसिंह, झब्बरसिंह, लालसिंह, अमरसिंह व रिछपालसिंह थे जिन्होने काफी वर्षों पहले ही पुश्तैनी जमीन का मौके पर व रेकर्ड में बंटवारा करके अलग–अलग खसरान व नक्शे में तरमीम करवा कर सींव–नींव कायम कर ली थी तथा भंवर सिंह के संतान नहीं होने से अपने भाई लाल सिंह के पुत्र को गोद लिया गया जो वर्तमान में भंवरसिंह के खेत खसरान का काबिज खातेदार व काश्तकार है। प्रतिवादी सं0 2 झब्बर सिंह के भी संतान नहीं होने से लाल सिंह के पुत्र गिरधारी सिंह को गोद लिया हुआ है। प्रतिवादी सं0 3 लाल सिंह के चार पुत्र थे जिनमें से तीन पुत्र क्रमश अजीत सिंह गोद पुत्र भंवरसिंह, गिरधारी सिंह गोद पुत्र झब्बर सिंह, भगवान सिंह गोद पुत्र रिछपाल सिंह है तथा प्रतिवादी अमर सिंह के एक मात्र पुत्र है तथा लाल सिंह के द्वारा चार पुत्रों में से तीन को गोद दे दिये जाने के पश्चात पदम सिंह पुत्र श्री लाल सिंह एक मात्र पुत्र है।

घीसूसिंह के पांच पुत्र थे जिनके से तीन नाऔलाद, एक लाल सिंह के चार पुत्र व अमर सिंह के एक पुत्र है जिनमें से तीन पुत्रों को गोद दे रखा है।

वादी के बचपन में ही गोद ले लिया गया था। वादी के गोद पिता रिछपाल सिंह पुत्र श्री घीसू सिंह ने अपने जीवनकाल में शादी नहीं हुई थी जिसके कारण नाऔलाद के मृत्यु दिनांक 13.11.1988 को हो चुकी थी। मृत्यु होने पर वादी द्वारा



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

हिन्दू रिति रिवाज के अनुसार क्रियाक्रम अस्थि विसर्जन व ब्रह्मम भोज इत्यादि वादी के द्वारा किया गया था तथा पाग का दस्तूर भी वादी के किया गया था जो मृतक रिछपाल सिंह की चल–अचल सम्पति का वारिस एवं उत्तराधिकारी एक मात्र गोद पुत्र वादी है जो निरन्तर रूप से मृतक रिछपाल के बतौर गोदी पुत्र के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है।

राजस्व ग्राम परेवड़ी, भू अभिलेख निरीक्षक जिलिया तहसील कुचामनसिटी के खसरा सं0 594 रकबा 3.72 है0 कृषि भूमि वाद वादी काबिज काश्तकार है जिसके सींव–नींव कायम सन 1988 से रबी, खरीब व कुदरती फसल की पैदावार लेता आ रहा है उसमें कच्चा पक्का निर्माण करके वादी रहवास भी कर रहा है।

वादी के गोदी पिता का ग्राम पंचायत परेवडी द्वारा जारी मृत्यु एवं उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की प्रति पेश है जिसमें ग्राम पंचायत द्वारा मृतक रिछपाल सिंह द्वारा अपने जीवनकाल में ही भाई के पुत्र वादी भगवान सिह को गोद ले लिया था तथा वादी ही उनकी चल–अचल सम्पति का गोद पुत्र के रूप में उत्तराधिकारी है।

वादी के परिवार राशन कार्ड में भी गोदी पिता रिछपाल सिंह का नाम अंकन है, इसी प्रकार आधार कार्ड में भी गोदी पिता रिछपाल सिंह का अंकन है तथा गोदी पिता की मृत्यु के समय भी स्वर्गीय घीसू सिंह के सभी वारिसान द्वारा व समाज के मौतबीर व्यक्तियों द्वारा वादी को गोदी पुत्र रखने के बतौर लिखा पढी की गई है।

बिनाय दावा दिनांक 01.10.2016 को वादी सं0 1 ने जमाबंदी उपरोक्त खसरा की प्रतिलिपि मंगवाकर उसे देखने से जानकारी हुई कि हल्का पटवारी के द्वारा वादी को खातेदार मृतक रिछपाल सिंह के उत्तराधिकारी होने से खातेदारी में दर्ज करने का कहने पर मना कर देने पर बमुकाम परेवडी उत्पन्न हुआ।

वादी की इस्तदुआ निम्नलिखित है :–

मृतक रिछपाल सिंह के एक मात्र वारिस व गोद पुत्र होने से उपरोक्त खसरा सं0 594 में वादी का नाम दर्ज करके खातेदार घोषित किया जावें।

वादी सं0 1 के नाम को राजस्व ग्राम परेवडी के खसरा 594 रकबा 3.92 है0 की खातेदारी को दुरूस्त करके वादी की खातेदारी इन्द्राज करवाने बाबत माफिक रेकर्ड दुरूस्ती के आदेश संबंधित अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों को प्रदान करावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 22.11.2016 को प्रतिवादी सं0 3 उपस्थित। दिनांक 20.12.2016 को प्रतिवादी सं0 5,6 गैरहाजीर होने परएक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 27.12.2016 को प्रतिवादी सं0 3 का जबाब पेश किया, शामिल मिसल है। दिनांक



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

30.12.2016 को वकुलाय उपस्थित, प्रतिवादी सं0 1,2,4 बावजूद सम्मन तामिल के गैरहाजीर होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 03.01.2017 को प्रतिवादी सं0 1 की ओर से श्री श्यामसुन्दर चौधरी उपस्थित एवं आदेश 9 नियम 7 सीपीसी पर प्रतिवादी सं0 1 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही निरस्त की गई। दिनांक 13.03.2018 को वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने जरीये वकील राजीनामा पेश किया, शामिल मिसल है। वकुलाय ने बहस सुनाते हुए जरीये राजीनामा वाद डिक्री करने का निवेदन करने पर वादी का वाद पत्र, संलग्न दस्तावेजात खतौनी, ग्राम पंचायत परेवड़ी का मृत्यु के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, नक्शा ट्रेस, सम्वत 2045 का लिखित दस्तावेजात की फोटो प्रति, प्रतिवादी सं0 3 का इकबाली जबाब, वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 व 2 का राजीनामा का अवलोकन एवं वकुलाय की बहस में किये गये कथनों का मनन करने पर उक्त विवादित आराजी घीसू सिंह के वारीसान की होने से एवं रिछपाल सिंह की मृत्यु 13.11.1988 नाऔलाद फौत होने पर एवं 15.11.1988 को ही लाल सिंह द्वारा अपने लड़के को रिछपाल सिंह को गोद देने की सहमती व वारीसान द्वारा वादी के पक्ष में इकबाली जबाब, राजीनामा करने पर व पुरानी लिखित दस्तावेज सम्वत 2045 का एवं संरपंच ग्राम पंचायत परेवडी का उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र से न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि स्वर्गीय खातेदार रिछपाल सिंह पुत्र घीसू सिंह का एकमात्र वारिस वादी होने से वादी का वाद काबिल स्वीकार होने से निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

## आदेश

ग्राम परेवड़ी के खसरा नम्बर 594 रकबर 3.72 है0 में खातेदार रिछपालसिंह पुत्र धीसूसिंह जाति राजपूत निवासी परेवडी का नाम हटाया जाकर वादी भगवान सिंह गोद पुत्र रिछपालसिंह जाति राजपूत निवासी परेवड़ी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावें। तहसीलदार कुचामनसिटी राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार कुचामनसिटी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 12/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)